THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Yes, Sir. The zone-wise break-up of 2600 kms. is as below:

Railway	Target for 1995-96 (kms. in CTR units)
Central	356
Eastern	298
Northern	341
North Eastern	159
Northeast Frontier	106
Southern	207
South Central	313
South Eastern	529
Western	291
Total	2600

(c) Information will be collected and laid on the Table of the House.

Killing of ITBP Jawans in Jallandhar by fellow Jawan

1057. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether an incident of shooting dead of 5 jawans of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) by a head constable of same force has been reported in Jallandhar town of Punjab on the 16th July, 1995;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether such incidents have also been occurred in other Forces in the past;

(d) whether Government propose to amend the Service Conditions of personnels of the forces to make such crimes more punitive in future;

(e) if so, details thereof and if not, the reasons thereforr

(f) whether the accused of incidents as mentioned above in part a has since been arrested; and

(g) if so, what action has been taken against him and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) On 16.7.95 bodies of 5 Constables, with bullet injuries, were found from the premises of P.N.B. Branch at Nakodar where they were on duty. Hawaldar Satbir Singh who was also on duty there was found missing. Later his dead body was discovered on 20.7.95. It is suspected that Hawaldar Satbir Singh killed his colleagues and later committed suicide by consuming Aluminium Sulphide.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) No, Sir. Existing provisions in the IPC/Rules governing the Central Para-military Forces are considered sufficient for imposing deterent punishment on the accused.

(f) Does not arise in view of reply to part 'a' & 'b' above.

(g) Does not arise.

बुक किये गए माल की चोरियां

1058. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में बुक किए जाने वाले सामान की चोरी होने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि रेलवे में सामान की देखभाल के लिए गठित बल मौजूद हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष 1994-95 में रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में भारी मूल्य के बुक किए गए सामान एवं कोयले आदि की चोरी बड़े पैमाने पर हुई, यदि हां, तो बुक किए गए सामान और कोयले की कुल कीमत क्या थी;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है, यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले और चोरी में कितने व्यक्ति लिप्त थे, उन्हें क्या-क्या सजा दी गई और उनसे कितना सामान बरामद किया गया; और

(घ) भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी० जे० जाफ़र शरीफ़): (क) जी नहीं, भारतीय रेलों पर बुक किए गए परेषणों की चोरी के मामलों में गिरावट आई है। 1994-95 में इन मामलों की संख्या (10053) में 1993-94 (12,802) के मुकाबले 21.47% और 1992-93 (16,555) के मुकाबले 39.27% कमी आई है।

(ख) वर्ष 1994-95 में भारतीय रेलों पर 6.85 करोड़ रु० की बुक की गई सम्पत्ति और 9.29 लाख रु० का कोयला चोरी हुआ था।

(ग) सामान और कोयले की चोरी के सभी मामलों की जांच की गई थी। भारतीय रेलों पर वर्ष 1994-95 के दौरान 1.85 करोड़ की चोरी हो गई बुक की गई संपति और 5.61 लाख रु० का कोयला गिरफ्तार किए गए क्रमशः 1399 और 283 व्यक्तियों से बरामद किया गया था। इससे 1994-95 में बरामद किए गए बुक हुए सामान (कोयले सहित) की बरामदगी में 1993-94 के मुकाबले 16.85% तथा 1992-93 के मुकाबले 15.53% का सुधार दिखाई पड़ता है। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया।

(घ) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए निम्नलिखित निरोधक उपाए किए जा रहे हैं:—

1. जहां तक संभव हो, कोयले सहित मूल्यवान और महत्वपूर्ण परेषण ले जाने वाली गाड़ियों का मार्ग रक्षण।
2. यार्डों और अन्य भेघ स्थलों/खण्डों में गहन क्षेत्रीय गश्त लगाना।
3. चोरी आदि की आंशका वाले पारेषण ले जाने वाले माल-डिब्बों/सीलों की अवस्था का जायजा लेने के लिए अंतरबदल स्थानों पर संयुक्त जांच।
4. जहां तक संभव होता है, भेघ खण्डों में रेल सुरक्षा बल की सशस्त्र टुकड़ियों की नियुक्ति/तैनाती की जाती है।
5. अपराधियों की धर-पकड़ के लिए अपराध आसूचना एकत्र करने हेतु सादे कपड़ों में रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों की तैनाती की जाती है।
6. भेघ यार्डों और क्षेत्रों में उपलब्धता के अनुसार श्वान दल भी गश्त के लिए तैनात किए जाते हैं।
7. अपराधियों और चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस में निकट सामंजस्य बनाए रखा जाता है।
8. अपराध आसूचना के आधार पर, अपराधियों/चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और तलाशियां ली जाती हैं।

Restoration of Seniority of Loco Inspectors

1059. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representations from some Senior, Loco Inspectors, who have been retired on 31st October, 1994, of the Central Railway posted at New Delhi to the effect that their pay be stepped upto their juniors;

(b) whether any letter was written by DRM's office Jhansi regarding restoration of seniority of some Loco Inspectors by giving them promotions w.e.f. 1992 since their juniors were promoted;

(c) if so, the what action has been taken in this regard;

(d) if no action has been taken, the reasons therefor; and

(e) by when their seniority will be restored and the arrears paid?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) No, Sir. However, one representation